सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. NCST/SER-884/JH/15/2023-SSW Dated: 10/07/2024

To,

श्री अजय कुमार सिंह,
पुलिस महानिदेशक,
झारखंड सरकार,
रांची, (झारखंड) -834007

Sub: झारखंड पुलिस विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के साथ पदोन्नति में भेद भाव करने के संबंध में:- अध्यक्ष, अनुसूचित जाति / जनजाति संगठनो का अखिल भारतीय परिसंघ (पंजी), झारखंड का दिनांक 07.12.2022 का अभ्यावेदन ।

महोदय,

I am directed to enclosed herewith copy of the minutes of Sitting held under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 14.06.2024 at 03:00 PM in Hotel BNR, Chanakya, Ranchi on the above mentioned subject.

It is requested that action taken/ to be taken in the matter may be submitted with stipulated time for placing it before the Hon'ble Member, NCST.

Yours faithfully,

(आर.एस.मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
Ph No. 011-24641640

Copy to:-

The President,
All India Confederation of SC/ST Organisations (Regd.)
In Front Of Bhudhiya School,
New Area, Morahabadi, Ranchi,
Jharkhand - 834008
(Email: lmoraon@gmail.com), (Mobile No:8709712396)

Copy for information to:-

1. PS to Hon'ble Member (Dr. A.L), NCST
2. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

झारखंड पुलिस विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के साथ पदोन्नति में भेद भाव करने के संबंध में – अध्यक्ष, अनुसूचित जाति / जनजाति संगठनो का अखिल भारतीय परिसंघ (पंजी.), प्रांतीय इकाई, झारखंड (रांची) का दिनांक 07.12.2022 का अभ्यावेदन - डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 14.06.2024 को 03.00 बजे, होटल BNR चाणक्य, रांची में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त।

फ़ाइल संख्या : NCST/SER-884/JH/15/2023-SSW

बैठक की तिथि : 14.06.2024 को 03.00 बजे

स्थान: होटल BNR चाणक्य, रांची

प्रतिभागियों की सूची संलग्न है

श्री L.M. Oraon, अध्यक्ष, अनुसूचित जाति / जनजाति संगठनो का अखिल भारतीय परिसंघ (पंजी.), प्रांतीय इकाई, झारखंड (रांची) ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 07.12.2022 में यह बताया है कि झारखंड पुलिस विभाग द्वारा ST वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति में भेद भाव किया जा रहा है। रोस्टर का सही पालन न करने के कारण वर्ष 1994 बैच के अवर निरीक्षक 18 वर्ष वरीय होने के बावजूद प्रोन्नति से वंचित रह गए एवं 2012 बैच के सामान्य कोटि के अपर निरीक्षको को प्रोन्नति प्रदान कर दी गयी है। अतः नैसर्गिक न्याय हेतु कार्यवाई करने का कष्ट करें।

आयोग ने समसंख्यक नोटिस दिनांक 25.05.2023 के द्वारा DGP, झारखंड सरकार, रांची, (झारखंड) से तथ्य तथा आख्या भेजने का निवेदन किया जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। आयोग ने इस प्रकरण पर दिनांक 13.06.2024 को 04:00 बजे रांची में बैठक करने का निर्णय लिया। जिसकी सूचना DGP, झारखंड सरकार, रांची और आवेदक को समसंख्यक Sitting Notice तथा पत्र दिनांक 04.06.2024 के द्वारा दे दी गयी। दिनांक 13.06.2024 को बैठक में पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक) एवं आवेदक उपस्थित हुए, परंतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक) की प्रतिनियुक्ति आदेश न होने कारण बैठक सम्पन्न नहीं हो पायी। दिनांक 14.06.2024 को समय 03.00 बजे पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक), झारखंड सरकार, सक्षम अधिकारी के आदेश के साथ उपस्थित हुए तथा आवेदक भी उपस्थित हुआ।

बैठक में आवेदक ने बताया की पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न पदों के लिए roster नहीं बनाए गए हैं जिससे अनुसूचित जनजाति वर्ग कर्मचारियों को समय से प्रोन्नत्ति नहीं मिल पा रही है। इस संबंध में झारखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों एवं माननीय मुख्यमंत्री (झारखंड) को लिखित अभ्यावेदन दिया गया है परंतु कोई सफल परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक) ने बताया की विभाग द्वारा पदोन्नती हेतु कार्यवाई की जा रही है एवं अनुसूचित जनजाति के लोगो को पदोन्नती दी गयी है।

बैठक में विचार विमर्श के समय यह ज्ञात हुआ की माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विगत वर्षों में आरक्षित पदो में पदोन्नति के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय एवं आदेश जारी किए हैं, जिस पर उपस्थित पुलिस अधिकारी ने अनभिज्ञता व्यक्त की तथा आस्वस्त किया की वह निर्णयों व आदेशों की जानकारी प्राप्त करेंगे एवं उसपर कार्यवाई करने का प्रयास करेंगे।

बैठक में दोनों पक्षो को सुनने के बाद, पुलिस प्रशासन, झारखंड सरकार को निम्नलिखित संस्तुतियों पर एक माह के भीतर आयोग को कार्यवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आग्रह किया:

1. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विगत वर्षों में आरक्षित पदो में पदोन्नति के लिए जारी किए गए कई निर्णयों एवं आदेशो के अनुसार, राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग की सलाह के साथ, पदोन्नति के लिए नियम बनाने हेतु अविलंब प्रक्रिया प्रारम्भ करें।
2. राज्य में पुलिस अवर निरीक्षक पदों के RR एवं रोस्टर की प्रति उपलब्ध कराएं।
3. पुलिस विभाग द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण हेतु कोई आंतरिक शिकायत समिति (Internal Grievance Committee) बनाई गयी है, जैसा की अगस्त 2021 में NCST द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को सलाह दी गयी थी (प्रति संलग्न)

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

Annexure

डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 14.06.2024 को 3:00 बजे, रांची में झारखंड पुलिस विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के साथ पदोन्नति में भेद भाव करने के संबंध में- अध्यक्ष, अनुसूचित जाति / जनजाति संगठनो का अखिल भारतीय परिसंघ (पंजी) , झारखंड के प्रकरण में उपस्थित अधिकारियों की सूची।

I	**Govt. of Jharkhand**
	Shri Naushad Alam
II	**Petitioner**
	Shri L. N Oraon

: अलका तिवारी, भा.प्र.से.
: सचिव भारत सरकार
ALKA TIWARI, I.A.S.
SECRETARY TO GOVT. OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

D.O.No. 18/01/NCST(IGRC)2021-Coord.

3rd August, 2021

Respected Sir,

As you are aware, the National Commission for Scheduled Tribes (the Commission) has been set up under Article 338A of the Constitution of India on 19.02.2004 and vested with the responsibility, inter-alia, to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided to the Scheduled Tribes under the Constitution or under any order of the Government and other laws for the time being in force and to evaluate the working of such safeguards.

2. Every year, the Commission receives a large number of complaints relating to service matters on issues such as (i) Non maintenance of reservation roster and not filling up of reserved vacancies, (ii) Discrimination in promotion/seniority/MACP/ACP, (iii) Non-appointment on compassionate grounds, (iv) Downgrading of APARs, (v) Termination /dismissal from service, (vi) Discrimination in transfer/posting (vii) Denial of pensioner benefits etc.

3. To ensure active participation of various Government Departments in redressal of employment/service related grievances of Scheduled Tribe employees, the Commission recommends that the Departments and the Autonomous Bodies/PSUs/Attached/Subordinate offices, which are controlled by the Department should constitute an "Internal Grievance Committee". The composition of the committee may be as under:

(i)	SAG level officer of the Ministry/Department	Chairperson
(ii)	SAG/Director level officer of external Department (Scheduled Tribe)	Member
(iii)	Chief Liaison Officer/Liaison Officer (not below the rank of Deputy Secretary)	Member
(iv)	Director/Deputy Secretary level Officer (Having good knowledge of rules & procedure of Govt. of India)	Member
(v)	ST Officer of Director/Deputy Secretary/Deputy Director level (preferably lady to be nominated from other Ministry/Department incase an officer is not available within the Ministry/Department)	Member

.....2/-

6th Floor, Loknayak Bhawan, Khan Market, New Delhi -110003
Tel.: 011-24635625; Fax: 011-24624190, E-mail: secy@ncst.nic.in

(Note: As far as Internal Grievance Committee to be set up in Autonomous Bodies /PSUs / Attached / Subordinate Offices under the Central Govt. Department is concerned, the Committee may be chaired by an Executive Director level Officer with the Chief Liaison Officer and a senior officer belonging to ST community as members).

4. The Internal Grievance Committee will examine the complaints of the employees belonging to Scheduled Tribes on matters such as (i) Non-maintenance of reservation roster and not filling up of reserved vacancies, (ii) Discrimination in promotion/seniority/MACP/ACP, (iii) Non-appointment on compassionate grounds, (iv) Adverse/downgrading of APARs, (v) Termination/dismissal from services, (vi) Discrimination in transfer/posting (vii) Denial of pensioner benefits etc. and take necessary action for immediate redressal of the grievances. The Committee will prepare monthly report and submit to the Head of Organization who will monitor the action taken on the grievances and submit a quarterly report to the Commission including the reports received from the Autonomous Bodies/PSUs/Attached/Subordinate offices under the administrative control of the Department, in the format given below:

Quarterly Report for the period from .....to .....

Sl.No.	No. of grievances registered	No. of grievances successfully redressed	No. of grievances unresolved	Action taken against wilful defaulting officer(s)	Remarks
1	2	3	4	5	6

With regards,

Yours sincerely,

(Alka Tiwari)